HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2382/2025

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3082/2025

Manish Sain Son Of Santosh Kumar Sain, Aged About 39 Years, Resident Of Main Market, Near Girls School Bassi, Police Station Bassi, District Jaipur (Raj.) (Presetnly Confined In Central Jail, Jaipur)

----Appellant

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar with Mr. Harmeet Singh & Ms. Seema Shekhar
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **मनीष सैन** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायालय, अनु0 जाति/जन जाति (अ0नि0) प्रकरण, जयपुर महानगर–प्रथम** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**56/2024 राजस्थान राज्य** बनाम **मनीष सैन एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **21.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, जिसमें उन्हें अधिकतम सात वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया गया है, उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी वर्तमान में दिनांक 10.03.2024 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उनकी अभिरक्षा अवधि लगभग दो वर्ष होने को है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में उत्पीड़ित बालक पी0डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसके बयानों एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन प्रदर्श पी–5 में विरोधाभास है, प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है तथा आरोप पत्र अपीलार्थी/अभियुक्त मनीष के अलावा पप्पू के विरूद्ध भी पेश किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त पप्पू को दोषमुक्त किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि बाबत् कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है तथा प्रस्तुत अपील में उसके दोषमुक्त होने तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की पूरी संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं

25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **24.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मनीष सैन पुत्र श्री संतोष कुमार सैन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /60